well as non-coking has been achicvea or is expected to be achieved from these projects during the above period, and

(c) what total investment has been incurred on these projects during the same period?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) since the beginning of the Seventh Five Year Plan period (1985-86) till the end of 1993-94, 232 new coal mining projects each costing above Rs. 2 crores have been sanctioned in Coal India Ltd. and Singareni Collieries Company Ltd. Year-wise number of projects sanctioned are given below: —

Year		No. of new coal mining projects sanctioned
1985-86		21
1986-87	7th	24
1987-88	Plan	42
1988-89		*27*
1989-90		30
1990-91	Annual	33
1991-92	Plan	20
1992-93	First two	24
1993-94	Years	11
	8th Plan	

(a) These projects contributed ;\ coal production of 79.38 million tonnes tor Coal India Ltd. and Singareni Collieries Company Ltd. in the year 1993-94

(c) The progressive investment on these projects upto 31.3.94 is Rs. 5994 crore (provisional).

कोल इंडिया लिमिटेड को 500 मिलियन डालर का ऋण देने के लिए आई०बी०आर०डी० द्वारा रखी गई शर्तें

3496. **श्री राम जेठमलानी:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 अगस्त, 1993 के दैनिक "इकोनोमिक टाइम्स" में "आई०बी०आर०डी० सैट्स टर्म्स फार 500 मिलियन डालर लोन टु सी०आई०एल० शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है.

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है की कोल इंडिया लिमिटेड को 500 मिलियन डालर के विश्व बैंक ऋण को स्वीकृति से संबंधित एक शर्त रखी गयी थी कि देश में कोयले के आयात पर से सीमा शुल्क की दर 85 प्रतिशत से घटा कर कालांतर में 25 प्रतिशत की जाए;

(ग) यदि नहीं, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार ने अभी गत माहों में कोयले पर सीमा शुल्क की दर मे भारी कमी की है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या-क्या कारण थे?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना के लिए संभावित ऋण हेतु विश्व बैंक के साथ विचार-विमर्श चल रहा है। ऋण के विषय में शर्तें, यदि कोई हों, उनका पता विश्व बैंक द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद ही चल सकेगा।

(घ) और (ङ) कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत कोयले पर लगायी गयी उत्पादन शुल्क की दर, जो कि 9.2.1983 से है, प्रेषित किए गए अकोककर कोयले पर 3.50 रु० प्रति टन तथा कोककर कोयला पर 4.25 रु० प्रति टन है।

कोयला धोवनशालाओं की उत्पादन क्षमता

3497. **श्री राम जेठमलानी:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में कार्यरत कोयला धोवनशालाओं की कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन धोवनशालाओं में उत्पादन निर्धारित क्षमता के अनुरूप रहा है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान इन धोवनशालाओं में वार्षिक रूप से क्रमशः कुल कितना उत्पादन हुआ और इनके द्वारा उत्पादित कोयले में राख का अंश कितने प्रतिशत होता है?